IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(U. P. Housing & Development Board)
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, (इकाई–5)
नीलगिरी काम्पलैक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

संख्या 3646 / वा0नि0–5 / एस0बी0आई0 / दिनांक– 29-12-2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–14
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलैक्स वृन्दावन योजना सेक्टर–9,
वृन्दावन, लखनऊ।

SBI file
30/12/17

विषयः–अवध विहार लखनऊ के सेक्टर–5 में एस0बी0आई0 के स्टाफ के आवासीय उपयोग हेतु पूर्व में पूर्व एस0बी0आई0 इन्क्लेव के 220 नग फ्लेटों के स्थान पर पंजीकरण के सापेक्ष 64 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–871 / एस0बी0आई0 / 27 दिनांक 24–10–2017 एवं अधीक्षण अभियन्ता–मुख्यालय वृत्त के पृष्ठांकित पत्रांक 1450 / वाई–1 / 1114 दिनांक 19–12–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके कम में अवगत कराना है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ एसोसिएशन के सचिव द्वारा प्रेषित सहमति पत्र सं0 जी0एस0 / 2017 / 59 दिनांक 14-12-2017 के माध्यम से 220 नग के स्थान पर वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों हेतु 64 नग फ्लैट्स बनाये जाने हेतु सहमति सहित प्रस्तावित मानचित्रों पर अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। प्रोजेक्ट के निजी कन्सलटेन्ट द्वारा मानचित्रों में आवश्यक संशोधन सहित खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराये गये हैं। ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–05 / जी0एच0–01 के आकार / क्षेत्रफल 8832.77 व0मी0 को संशोधन उपरान्त 3409.69 व0मी0 किया गया है जिसे आवास आयुक्त महोदय के अनुमोदन के कम में सेक्टर ले आउट प्लान में आवश्यक संशोधन किया जाना है। वर्तमान में प्रश्नगत परिषद प्रोजेक्ट के सापेक्ष निर्माण मानचित्र,आवास आयुक्त (म0) द्वारा दिनांक 28–12–2017 को अनुमोदित / हस्ताक्षरित किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में बहुमंजिले निर्माण हेतु निम्न औपचारिकतायें निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पूर्ण की जानी आवश्यक है जिसे सम्बंधित खण्ड कार्यालय / कन्सलटेन्ट के माध्यम से पूर्ण कराया जाना है :–

1. प्रस्तावित इकाईयों के सापेक्ष सेल्टरफीस शासनादेश के अनुसार देय होगी, शासनादेश के आलोक में प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 हेतु सेल्टर फीस की गणना निम्नानुसार है :–
   - प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग में कुल इकाईयों की संख्या–64 नग।
   - अवध विहार योजना लखनऊ का सर्किल रेट – रू0 25000 / प्रति व0मी0
   - सेल्टर फीस = आवासीय इकाईयों की कुल संख्या X (35+41) X वर्तमान सर्किल रेट का आधा / 10
   - सेल्टर फीस = 64 X 76 X 1250.00 = 60,80,000-00 (रू0 साठ लाख अस्सी हजार मात्र)
2. प्रश्नगत प्रकरण में उक्त गणनानुसार देय शेल्टर फीस की धनराशि रू0–60,80,000 / – को परिषद कोष में जमा / समायोजन किये जाने व धनराशि को भवनों के प्रांक्कलन में सम्मिलित करना होगा, यदि सर्किल रेट में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो तद्नुसार संशोधित गणना के अनुसार सेल्टर फीस जमा करानी होगी।
3. प्रकरण अनुमोदित मानचित्रों के सापेक्ष मुख्य अग्निशमन अधिकारी,लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक सेट पर अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुए सत्यापित अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. प्रोजेक्ट हेतु नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा। मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा सकता है कि सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बंधी कार्यवाही 06 माह के अन्दर सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–14 द्वारा जमा किया जायेगा।
5. प्रोजेक्ट हेतु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र विलम्बतम 06 माह के अन्दर प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर वास्तुविद के साथ स्ट्रक्चरल डिजाईन तैयार कराने वाले इंजीनियर का पूरा नाम तथा मोहर युक्त हस्ताक्षर व भूकम्प अवरोधी होने का प्रमाण पत्र उपविधि के अध्याय–13 में उल्लिखित प्रारूप में अंकित कर 05 सेट इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. उपविधि के परिशिष्ट–7,8,9 व 10 बिल्डिंग इन्फारमेंशन शेंड्यूल में उल्लिखित विवरण तालिका के रूप में मानचित्र पर अंकित कर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित करते हुए स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उपलब्ध कराया जाना होगा।

Scanned by CamScanner

8. मानचित्र के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन के कैलकुलेशन्स के–5 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा। जिसे आई0आई0टी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के प्रोफेसर से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए वैटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
9. श्रम विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य के सापेक्ष 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि की गणना/समायोजन सहित प्रोजेक्ट के पंजीयन सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही श्रम कार्यालय के निर्देशों के अनुसार तदनुसार खण्ड कार्यालय द्वारा सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रस्तावित निर्माण में प्रोजेक्ट की जनसंख्या के आधार पर सुविधाजनक दुकानों एवं कम्युनिटी सेन्टर का प्रस्ताव है जिसके आवंटन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही परिषद नियमानुसार सम्पत्ति प्रबंधक, (अवध विहार) कार्यालय द्वारा पृथक से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार आवास आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित मानचित्रों का एक सैट आपको इस अनुरोध सहित संलग्न प्रेषित है कि कृपया तदनुसार एस0बी0आई0 इन्क्लेव के निर्माण हेतु वांछित औपचारिकतायें/अग्रिम कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार दूबे)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0 /उक्त दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को महोदय के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. संयुक्त/उप आवास आयुक्त–लखनऊ जोन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता–मुख्यालय वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता–विद्युत खण्ड–प्रथम उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. सम्पत्ति प्रबंधक, अवध विहार योजना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
7. सचिव, स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ एसोसिएशन लखनऊ सर्किल, 8वां तल, मुख्य कार्यालय, मोती महल मार्ग लखनऊ।
8. निजी कन्सलटेन्ट मैसर्स सिविल कन्सलटेन्ट (आर्कि0 अजय बहल) गौरी अपार्टमेन्ट,57,हिल्टेन लेन, मीराबाई मार्ग लखनऊ।
9. उप श्रम आयुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, ए0पी0सेन, रोड, लखनऊ।

वास्तुविद नियोजक

Scanned by CamScanner